संख्या–300 /XVIII-B-1/2020-15(6)/2020

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– महानिदेशक,
पुलिस, उत्तराखण्ड।

3– मण्डलायुक्त,
कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल,
उत्तराखण्ड।

4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, देहरादून :दिनांक 15 अप्रैल, 2020

विषयः– कोरानो वायरस (कोविड–19) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपयुक्त विषयक मंत्रिमण्डल सचिव, भारत सरकार के अ0षा0पत्र संख्या–40–3/ 2020–डी0एम0–1(ए), दिनांक 30 मार्च, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा कतिपय मंत्रालयों/विभागों के द्वारा लॉकडाउन के सम्बन्ध में अपने स्तर से ही स्पष्टीकरण/निर्देश निर्गत कर दिये जा रहे है, जबकि इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के स्तर से ही संशोधन/स्पष्टीकरण निर्गत किये जा सकते है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों/मंत्रालयों एवं क्षेत्रों में दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन कर रहे अधिकारियों के कार्यो के लिये दिशा–निर्देशों में स्पष्टता आवश्यक है।

2– अतः मंत्रिमण्डल सचिव, भारत सरकार के अ0शा0पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2020 की छाया प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने से सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के लिये कोरोना वायरस (काविड–19) के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण/संशोधन यदि निर्गत किया जाना आवश्यक हो, तो उसे पहले आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग के अधीन आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 20 की उपधारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुसार गठित राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष संदर्भित करने का कष्ट करें।

3– उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरिः

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

D/Letter Gen